

हेट स्पीच कानून का होगा वसितार

संदर्भ

वधिआयोग ने अपनी एक रपौर्ट में हेट स्पीच या घृणा वाक् का दायरा बढ़ाए जाने की अनुशंसा की है।

क्या है हेट स्पीच?

वधिआयोग के अनुसार हेट स्पीच के अंतर्गत नस्ल, जाति, लिंग, यौन-उन्मुखता (Sexual Orientation) आदि के आधार पर किसी समूह के खिलाफ घृणा फैलाने के कृत्य शामिल हैं। भय या घृणा फैलाने वाले अथवा हिसा को भड़काने वाले भाषण का लिखित रूप में या बोलकर अथवा संकेत द्वारा प्रेषित किया जाना ही हेट स्पीच है।

इससे जुड़ा नकारात्मक पहलू

- हेट स्पीच या घृणा वाक् भाषण और अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता के समक्ष चुनौती उत्पन्न करता है।
- यह सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देता है और देश के धर्मनिरपेक्ष ढाँचे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।
- यह युवाओं में अतविद को बढ़ावा देता है। देखा गया है कि हेट स्पीच के प्रभाव में आकर कश्मीरी युवा देश वरिधी गुटों में शामिल हो जाते हैं।
- हेट स्पीच से अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा की भावना बढ़ती है और यह अल्पसंख्यकों तथा बहुसंख्यकों के बीच खाई को बढ़ाता है।
- देश में हुए गोधरा दंगे, बाबरी वधिवंस आदि कहीं न कहीं हेट-स्पीच से जुड़ी या उसके द्वारा भड़काई गई घटनाएँ हैं।

इसके संबंध में वधिआयोग की सफारिशें

- 'घृणा फैलाने पर रोक' के लिये भारतीय दंड संहिता में संशोधन कर नई धारा 153(C) जोड़ी जाए।

⇒ इसके लिये आयोग ने दो साल की कैद और जुर्माने के दंड की सफारिश की है।

- IPC में एक नई धारा 505 (A) जोड़ी जाए, जो 'कुछ मामलों में भय, अशांतिया हिसा भड़काने' के कृत्यों से जुड़ी हो।

⇒ इसके लिये आयोग ने एक साल की कैद और जुर्माने अथवा बनिा जुर्माने की सफारिश की है।

वधिआयोग ने वधिार व्यक्त कथिा है कि हिसा के लिये उकसाने को ही नफरत फैलाने वाले बयान के लिये एकमात्र मापदंड नहीं माना जा सकता। ऐसे बयान जो हिसा नहीं फैलाते हैं उनसे भी समाज के किसी हिससे या किसी व्यक्तिको मानसिक पीड़ा पहुँचने की संभावना होती है।

और क्या उपाय संभव हैं?

- सोशल मीडिया से घृणा फैलाने वाली सामग्री पर नगिरानी रखने और हटाए जाने के उपाय कथिा जाने चाहिये।
- लोगों में तर्कसंगत सोच का वकिसा करने की आवश्यकता है, ताकि वे किसी भी चीज़ पर बनिा सोचे-समझे वशिवास न करें।
- अपने वक्तव्यों से धार्मिक उन्माद फैलाने वाले नेताओं और धर्मगुरुओं को चहिनति कर उनके भाषणों की नगिरानी की जानी चाहिये और हेट स्पीच के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिये।

भारत को हेट स्पीच के मामले में कनाडा, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम से सीख लेने की आवश्यकता है। इन देशों ने इस तरह के भाषणों को न केवल वनियमति कथिा है, बल्कि इन्हें अपराध मानते हुए कुछ वशिष प्रावधान भी कथिा हैं।

